Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

STATUTE NO. 03 (A)

कार्यपरिषद् की शक्तियॉ तथा कर्तव्य

(Refer Section 15(2) of Chhattisgarh Act. No. 26 of 2004

अधिनियम 26 सन् 2004 तथा उनके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् निम्नलिखित व उनसे अनुषांगिक कर्तव्यों का पालन करेगी तथा ऐसे कर्तव्यों के पालन हेतु उसे समस्त शक्तियां होगी –

1. विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबंध करना;
2. विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबंध करना
3. संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे अंगीकृत करना;
4. विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विरचित करना;
5. वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी जिनके अन्तर्गत उत्पादी कार्यो की दशा में उधारों के आगमन आयेंगे;
6. खंड (पांच) के अध्ययधीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय –

(क) बजट अनुदान की रकम कम करना;

(ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम के, एक उपशीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष को या किसी एक उपशीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष को अन्तरित किये जाने की मंजूरी देना, या

(ग) किसी उपशीर्ष के भीतर की एक लाख से अनाधिक किसी रकम के एक अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्रधान इकाई से दूसरी प्रधान इकाई को अंतरिम किये जाने की मंजूरी देना;

7. विश्वविद्यालय की ओर से निधियॉ उधार लेना तथा उधार देना;

   परन्तु निधियॉ विश्वविद्यालय–संपत्ति की प्रतिभूति पर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उधार नहीं ली जायेंगी;

8. विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अंतरित करना;

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर संपत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय दान के रूप में या अन्य अंतरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किया जायेगा अन्यथा नहीं।

9. इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियोँ का प्रयोग करते हुए तथा उसे सौपे गये कर्तव्यों का पालन करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदाए करना, उनमें फेरफार करना, उन्हे कार्यान्वित करना तथा उन्हे रद्द करना;

10. विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना;

11. विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिये आवश्यक भवन–परिसरों, उपस्कर, उपकरणों (एपरेट्स), पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

12. विश्वविद्यालयों के पक्ष में न्यासों, वसीयतों (विक्वेस्ट्स), दानों और किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहीत करना;

13. विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबंध करना और उनका विनियमन करना;

14. निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना –

    (क) मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुवार व्यूरो;

    (ख) सूचना व्यूरो; और

    (ग) नियोजन व्यूरो

15. निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना –

    (एक) बहिवर्ती (एक्स्टाम्यूरल) अध्यापन तथा गवेषणा;

    (दो) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप

16. विद्या परिषद् की समस्त प्रस्थापनाओं की, बजट के ढांचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से समीक्षा करना;

17. ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, सहायक पदों या अन्य अध्यापन पदों, की जिनकी की विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रस्थापना की जाय, संस्थित/निलंबित करना;

    परन्तु कोई भी अध्यापन पद के ''संस्थित/निलंबित'' करने के लिए राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

18. अध्यापन विभागों, गवेषणा या विशेषित अध्ययन, संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रनिवासों की स्थापना करना, उन्हे संधारित तथा उनका प्रबंध करना;

19. छात्रनिवासों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के लिये जिन्हे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, आवास स्थान की स्थापना करना;

20. विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रवेश, निवास स्थान, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्वि करने के लिये इन्तजाम करना;

21. परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियॉ तथा विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करने की कुलाधिपति से सिफारिश करना;

22. अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां पदक तथा परितोषिक संस्थित करना;

23. इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारियों जो कुलपति से भिन्न हो, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्यों और उनकी शर्ते सेवा परिनिश्चित करना और उनके पदों में होने वाली अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

24. विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृंद के सदस्यों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार करना;

25. परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा अन्य जांचो के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना;

26. कदाचार की दशा में परीक्षाओं को अंशतः या पूर्णतः रद्द करना तथा ऐसे अनाचार के दोषी पाये गये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं के विरूदध कार्यवाही जिसके अंर्गत विद्यार्थियों का निष्काषन आता है, करना

27. विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी/अधिकारी व उनके उपर आश्रित परिवार के सदस्यों को भेषज सुविधा व अन्य शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के संबध में निर्णय लेना।

28. दूसरे मुक्त विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु अनुबंध करना।

29. भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से कर्मचारियों, अधिकारियों के हित में बीमा या पेंशन योजनाओं में सम्मिलित होना।

30 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय/दूरस्थ शिक्षा परिषद् के परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवम् उपनियमों, आदेशों को आवश्यकता के अनुरूप संशोधन सहित अधिनियम के तहत् प्रावधानित प्रक्रिया के तहत अंगीकृत करना।

31. क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के संबध में निर्णय लेना।

32. विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों जिसके अंतर्गत किसी भी परीक्षाओं के अभ्यर्थी आते है, के विरूदध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

33. ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार, अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाए उनकी मांग करना तथा उन्हे प्राप्त करना।

34 क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा इस संबध में निर्देश तैयार करना।

35. विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियम तथा अध्यादेशों अनुसार करना, कर्मचारी वृन्द के विरूदध तथा अन्तपरीक्षकों/परीक्षा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरूदध अनुशात्मक कार्यवाही करना।

——— 000———

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के आदेशानुसार श्री एस. एल. नर्रे, राज्यपाल के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रं. एफ 14–13/2011/रास/यू.6 दिनांक 24/09/2011 द्वारा अनुमोदित)